इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2021—माघ 23, शक 1942

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2021

क्र. एफ-2(अ) 90-2020-बी-4-दो.—मध्यप्रदेश होमगार्ड अधिनियम, 1947 (क्रमांक 15 सन् 1947) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश होमगार्ड नियम, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-29 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"29. (क) राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में तथा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधीन उपक्रमों में उनकी मांग के अनुसार स्वयंसेवी होमगार्ड तथा स्वयंसेवी अधिकारी, तैनात किये जा सकेंगे.

(ख) होमगार्ड की सेवा प्राप्त करने वाले केन्द्र शासन का विभाग अथवा केन्द्र/राज्य शासन का उपक्रम उन होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिक/अधिकारियों की आस्थगत संदाय या हकों की प्रतिपूर्ति करने की दृष्टि से होमगार्ड विभाग द्वारा देय सभी भत्तों की 150 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा.

(ग) केन्द्र सरकार के विभाग/उपक्रमों अथवा मध्यप्रदेश राज्य के उपक्रमों में तैनाती की अवधि के दौरान स्वयंसेवी या अधिकारी घायल होता है या मृत्यु होती है तो वह सेवा प्राप्त करने वाला विभाग/उपक्रम विस्तृत आदेशों के अनुसार मृत्यु-सह-क्षति अभिलाभों के संबंध में भुगतान करने का दायी होगा.

(घ) होमगार्ड की तैनाती के बदले में केन्द्र शासन के विभाग/उपक्रमों तथा राज्य शासन के उपक्रमों से प्राप्त राशि में से 10 प्रतिशत राशि होमगार्ड के केन्द्रीय कल्याण कोष में जमा की जाएगी.".

No. F 2-(A) 90/2016-B-4/II.—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Madhya Pradesh Home Guards Act, 1947 (No. 15 of 1947), the State Government, hereby, makes the following further amedments in the Madhya Pradesh Home Guards Rules 2016, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, for rule 29, following rule shall be substituted, namely:—

"29. (a) The Volunteer Home Guard and Volunteer officers may be deputed to other departments of State Government and Central Government and to undertakings of State Government/Central Government as per their request with approval of the State Government.

(b) The department of Central Government or undertaking of Central/State Government borrowing Volunteers Home Guard shall pay an amount equal to 150% of all the allowances payable by the Home Guard department with the view to reimburse the deffered payment or entitlements to these Volunteer Home Guard/officers.

(c) If Volunteer Home Guard or officer sustain injuries or meets death during the period of deployment with Department/undertakings of Central Government or undertakings of State of Madhya Pradesh, such borrowing department/undertaking shall also be liable to make payment in respect of death-cum-injury benefit as per the extant instructions.

(d) Out of the amount received in lieu of the deployment of Home Guard with Department/undertakings of Central Government and undertakings of State government, 10% amount shall be deposited in the Central Welfare Fund of the Home Guards.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.